राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवांए, राज0 जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/मृआ/09/1361 दिनांकः– 25-9-09

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिए जाने संबंधी मामलों में संबंधित जिला कार्यालयों से प्रकरण पूर्ण तैयार कर नहीं भिजवाया जाता है। निदेशालय से आक्षेपों की पूर्ति हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी आक्षेपों की समय पर पूर्ति कर नहीं भिजवाई जाती है। इस कारण मृतक कर्मचारी के आश्रितों को समय पर राहत दिए जाने के उद्धेश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

अतः अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधी प्रकरणों की पूर्ति हेतु दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता प्रदान कर, दिशा–निर्देशों के अनुसार आक्षेपों की पूर्ति कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/मृआ/09/1361 दिनांकः– 25-9-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
2– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राज0
3– प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज0
4. प्रभारी सर्वर रूम, नि0।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर